मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र0 / बो.का. / बैक0 / सी.भ. / सहा.यंत्री / उपयंत्री / 140 / 69 भोपाल, दिनांक 29 / 07 / 2019

–:: आदेश ::–

मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के **उपयंत्री (सिविल) संवर्ग** के सीधी भर्ती प्रतीक्षा सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनबैड 9300–34800+ग्रेड–पे 3200 / – में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 (सातवां वेतनमान) अनुसार वेतनमान लेवल–08 (वेतनमान 32800–103600) में न्यूनतम वेतन 32800 / – एवं अन्य भत्तों पर नीचे उल्लेखित शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम–1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	रोल नम्बर	नाम	वर्ग	तक.संभाग का नाम	मुख्यालय मण्डी समिति	प्रभार की मण्डी समितियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	22754561	श्री आदित्य वैभव पाठक	UR	सिवनी	सिवनी	सिवनी,लखनादौन, छपारा बरघाट
2	22762118	श्री राजू सिंह	UR	सागर	दमोह	दमोह
3	22797293	श्री अंकुर चौरसिया	UR	रीवा	–	–
4	22761892	सुश्री श्रेया शर्मा	UR	उज्जैन	आगर	आगर, बडौद

शर्ते:–

01– यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।

02– अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, तथा उसे एक माह का या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।

03– उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त (2) के अंतर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल योग्य होगी।

04– उपर्युक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

05– नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

06– कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक / एफ–9 / 3 / 2003 / नियम / चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।

Ajay Order

07– नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

08– परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।

09– स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोडने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नही छोडेगा या त्याग पत्र नही देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के, जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

10– चयनित/अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय–समय पर आयेज़ित प्रशिक्षण/कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

11– चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता म0प्र0 प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड की चयन सूची में अंकित मेरिट/प्रतिक्षा कम के अनुसार ही रहेगी, भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेंगे।

12– यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओ के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियॉ आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नही पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/सत्यापन नही होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होंगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।

13– म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 एफ सी–15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ–पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

14– यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा विभाग राज्य मण्डी बोर्ड सेवा अथवा पुलिस को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

15– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहना होगा।

16– समय–समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तो संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होगे।

17– बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।

18– विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22/7/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0 / बो.का. / बैक0 / सी.भ. / सहा.यंत्री / उपयंत्री / 140 / 70 भोपाल, दिनांक 29 / 07 / 2019

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

03. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री (समस्त) मुख्यालय भोपाल।

04. कार्यालय संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, रीवा / सागर / ग्वालियर / जबलपुर / इन्दौर / उज्जैन / भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

05. कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग .... की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेख तैयार करें / संधारित करें एवं संबंधित की उपस्थिति से शीघ्र अवगत करावें साथ ही संबंधित के कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के दिनॉक से जिस उपयंत्री के पास आदेश में दर्शित पदस्थापना संबंधित अतिरिक्त प्रभार है वे उसी दिनॉक को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

06. उपयंत्री, श्री ....की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि आप आदेश में दर्शित स्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

07. लेखाधिकारी (लेखा / आडिट / पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

08. अनुभाग अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

09. भारसाधक / सचिव कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति से तत्काल अवगत करायें।

10. श्री / श्रीमति / कुमारी ....
....

11. आदेश नस्ती / व्यक्तिगत नस्ती / गोपनीय चरित्रावली शाखा / लेखा शाखा / बोर्ड कार्मिक / पेंशन शाखा / स्टोर शाखा / वरिष्ठता पटल / कम्प्यूटर शाखा एवं अन्य शाखा .... मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

29/7/19

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल